इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-ए-1-02-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में ,—

1. अनुक्रमांक तिरेसठ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"चौंसठ—प्रवासी भारतीय.".

2. अनुसूची में,—

विद्यमान शीर्षक तिरेसठ और उससे संबंधित भागों और प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक भाग और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"चौंसठ—प्रवासी भारतीय विभाग .".

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :—

(1) भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन.

(2) प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी विषय.

(3) प्रवासी भारतीयों द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन जिसमें नवाचारी निवेश सम्मिलित है.

(4) प्रवासी भारतीयों से संबंधित नीति संबंधी विषय.

(5) प्रवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित विषय.

(6) मध्यप्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थाओं में जहां कहीं भी अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल (एन.आर.ई./पी.आई.ओ.) के व्यक्तियों, विद्यार्थियों के लिये विवेकाधीन कोटा उपलब्ध हो प्रवेश से संबंधित सूचना एकत्र करना एवं उसका प्रसारण करना.

(7) मध्यप्रदेश के अध्ययनरत् अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विद्यार्थियों (एन.आर.ई./पी.आई.ओ.) के लिये छात्रवृत्ति.

(8) प्रवासी भारतीय समुदाय और मध्यप्रदेश के बीच मजबूत संबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से मार्केटिंग और संचार की रणनीति बनाना.

(9) सरकार और संगठनों को अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के निवासियों के योगदान से संबंधित विषय.

(10) विदेशों में कौशल संपन्न जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की स्थापना.

(11) व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, मीडिया, युवाओं के मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के लिये नई पहल.

(12) विभागों के कार्यकलापों के प्रभावी अमल के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ आवश्यक समन्वय.

(13) फ्रैण्ड्स ऑफ मध्यप्रदेश एवं ग्लोबल टेलेंट पूल योजना.

(14) प्रवासी भारतीयों से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय समन्वय.

(15) ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किए गए विषयों को छोड़कर). उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

कुछ नहीं.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

कुछ नहीं.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम:

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय:

कुछ नहीं.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

कुछ नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-ए-1-02-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-02-2015-एक (1), दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th May 2015

No. F-A-1-02-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After serial number LXIII and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"LXIV-Overseas Indian.".

2. In the Schedule,—

After the existing heading LXIII and parts and entries relating thereto, the following heading, parts and entries relating thereto shall be added, namely:—

"LXIV-Overseas Indian Department.".

(A) Matters of policy dealt within the Department :—

1. Admission into and Emigration and Expulsion from India.
2. All matters relating to Overseas Indians.
3. Promotion to investment by the Overseas Indians in Madhya Pradesh which includes innovative investment.
4. Policy matters relating to Overseas Indians.
5. Matters relating to Programmes/Schemes for overseas Indians.
6. Collection and dissemination of Information concerning admission of Non-Resident Indians/ Students of Indian Origin to various educational, technical education and cultural institutions in Madhya Pradesh wherever discretionary quota for such students in available.
7. Scholarship to Non-Resident Indians/students of Indian Origin of Madhya Pradesh pursuing studies.
8. To frame strategies for marketing and communication to establish strong link between Indian communities residing abroad and Madhya Pradesh.
9. Matters relating to contribution of Non-Resident Indians/Residents of Indian Origin to the Government and organizations.

10. Establishment of institutions imparting vocational and technical training to meet the requirements of skilled man power abroad.

11. New initiatives for interaction of Overseas Indians in the field of Trade, Culture, Tourism, Media, Youth Affairs, Health, Education, Science and Technology.

12. To co-ordinate with the Central Ministries for effective implementation of departmental activities.

13. Friends of Madhya Pradesh and Global Talent pool Scheme.

14. National, International and Inter-State co-ordination in the matters of Overseas Indians.

15. All Matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(B) Acts and Rules Administred by the Department.

Nil

(C) Directorate and offices coming under the Department.

Nil

(D) Boards and Corporations set up under Acts.

Nil

(E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above.

Nil

(F) Name of Service, if any, coming under the department and special service matters, if any :

Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.